न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

शीघ्रसीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 02/2016

वादी

1. नौरतमल पुत्र मांगीलाल
   जाति-नाई, निवासी-टुंकड़ा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. शकूर पुत्र सुलेमान फौत
   के कायम मुकाम-
   1/1 अमरू पुत्र शकूर
   1/2 इकबाल पुत्र शकूर
   1/3 प्रधान पुत्र शकूर
   1/4 शाबीर पुत्र शकूर
   1/5 नैना पुत्र शकूर
   1/6 शरीफा पुत्री शकूर
   1/7 शमू पुत्री शकूर
   1/8 सोहनी बेवा शकूर
   जातियान-लुहार मुसलमान
   निवासीगण-टुकड़ा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. कृष्णा कन्सट्रेक्शन जरिए
   साजेदार श्री सुमित सिंघानिया पुत्र
   बी पी सिंघानिया जाति महाजन
   निवासी बी शास्त्री नगर निमच
   मध्यप्रदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) एवं 151 सीपीसी

तारीख रजू:.16/01/2017

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 23/01/2018

वकील मय प्रतिवादी संख्या 03 ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) एवं 151 सीपीसी के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-टुकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 463/216 रकबा 10-00 बीघा में वादी 1/2 हिस्से में घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के दिनांक 29/03/2012 को प्रस्तुत किया। जबकि वाद में वर्णित कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार शकुर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/8 से प्रतिवादी संख्या 03 ने दिनांक 20/06/2013 को क्रय कर ली व मौके पर भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किया। तब से उक्त कृषि भूमि के खातेदार, स्वामित्व, कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 03 का हैं। इसके पूर्व विक्रेता शकुर व इनके वारिसान का पिछले 37 वर्षो से कब्जा था। उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 463/216 रकबा 10-00 बीघा शकूर पुत्र सुलेमान को राज्य सरकार से गठित आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 06/05/1976 को आंवटित की तथा म्यूटेशन संख्या 148 दिनांक 08/05/1976 को रेवेन्यू ऐजेन्सी ने मौके पर उक्त भूमि का नापचौंप कर कब्जा दिया व जमाबन्दी में नाम इन्द्राज किया। वादी उक्त आवंटन दिनांक 06/05/1976 को मात्र 03 वर्ष का नाबालिग था, जो वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में की गई तस्दीक व शपथ पत्र में दर्शित आयु से स्पष्ट हैं। इसलिये कानूनन नाबालिग बच्चे

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

को कृषि भूमि आंवटन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। न ही नाबालिग की ओर से उसके किसी संरक्षक जिसके हित नाबालिग में हो व उसने सनद पर हस्ताक्षर किये हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं हैं। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। वादी ने सब कुछ तथ्यों की जानकारी होते हुए भी कि उक्त भूमि के खातेदार व कब्जा काश्त शकुर का था तथा शकुर की मृत्युपरान्त उनके वारिसान कब्जा काश्त था तथा वारिसान ने उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 03 को बेचान कर दी हैं। आवंटन होने के 37 वर्षो बाद वादी ने ये वाद प्रस्तुत किया, जो ये अन्दर म्याद नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं हैं तथा वादी को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के पठन पाठन से भी स्पष्ट हैं कि वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई बिनाय वाद भी पैदा नहीं होता हैं। वादी ने अपने वाद को कब्जे आदि को साबित करने बाबत् कोई गिरदावरी लगान आदि के भी कोई सबूत पेश नहीं किये हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को मात्र न्यायालय का समय जाया करने की नियत से गलत व झूंठे तथ्य अंकित कर 37 वर्षो बाद वाद पेश किया गया हैं, जो कानूनन पोषणीय नहीं हैं।

वकील वादी ने जबाब पेश किया हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा में खसरा नम्बर 463/216 रकबा 10-00 बीघा में वादी 1/2 हिस्से का काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या 03 ने जरिये पंजीयन कराई गई हैं। वह कानूनन गलत हैं। वादी नौरतमल पिछले 37 वर्षो से कब्जा काश्त हैं। आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 06/05/1976 के शकूर पुत्र सुलेमान के नमा पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 148 अकेले गलत रूप से भरा गया हैं। न्यायालय में दुरुस्ती का घोषणात्मक दावा पेश किया हैं। पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13/06/2013 को वाद पत्र खारिज किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली में अपील पेश की। राजस्व अपील अधिकारी पाली ने दिनांक 08/01/2015 को आंशिक स्वीकार की जाकर निर्देश दिया हैं कि प्रतिवादी का जवाब दावा का अवसर प्रदान की जावें उक्त आदेश दिनांक 08/01/2015 का प्रभावी हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा. पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार एवं कार्यालय हाजा का संधारित आवंटन रजिस्टर अनुसार शकुर पुत्र सुलेमान के नाम दिनांक 06/05/1976 को आवंटित हुई थी। आवंटन कमेटी ने शकुर पुत्र सुलेमान को ही आवंटन किया था। कार्यवाही रजिस्टर में शकुर पुत्र सुलेमान का ही नाम दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि नामान्तरकरण संख्या 148 शकुर पुत्र सुलेमान के नाम ही भरा था। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। आवंटन के आवेदन प्रार्थना पत्र में ओवर राइटिंग प्रतीत होती है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत करते समय अपने आप को 43 वर्ष का बताया हैं जिससे स्पष्ट हैं कि दिनांक 06.05.1976 को आवंटन किया गया तब वह नाबालिग था। आवंटन 1976 में हुआ वादी 35 वर्षो के बाद असाधारण विलम्ब के बाद आया हैं। वादी चाहता तो पूर्व में दावा प्रस्तुत कर सकता था, किन्तु नहीं किया गया। वादी के बालिग होने के वाद प्रस्तुत कर सकता था, किन्तु नहीं किया। आवंटित भूमि को शकुर के कायम मुकाम ने प्रतिवादी संख्या 03 को बेचान कर दी गई थी। तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 148 गै0सा0 के नाम दर्ज हुई थी। वादी का कोई हक हिस्सा दर्ज नहीं हैं। वकील प्रतिवादी एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उद्दरणों के मध्यनजर स्वीकार योग्य होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत 07 नियम 11(डी) सीपीसी का स्वीकार किया जाता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner